


निम्न- 4056/2018/रीवा/भू-प्र०

115

239

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०



हरिहर प्रसाद पटेल तनय स्व० सीता प्रसाद पटेल, पेशा-पेंशनर/कृषि,  
निवासी ग्राम-सोनौरा, तहसील-हुजूर, थाना-विश्वविद्यालय, जिला-रीवा  
(म०प्र०) —आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- श्रीमती बीणा पटेल पत्नी श्री मोतीलाल पटेल
- 2- ऋतुराज पटेल तनय श्री मोतीलाल पटेल
- 3- मोतीलाल पटेल तनय इंद्रपाल पटेल
- 4- श्रीमती भद्रशीला पटेल पत्नी श्री इंद्रपाल सिंह पटेल
- 5- राजेश पटेल तनय गुरुप्रसाद पटेल
- 6- बृजनन्दन पटेल तनय गिरिजा प्रसाद पटेल
- 7- श्रीमती भगवती सिंह पटेल पत्नी श्री रतन सिंह पटेल

सभी निवासी ग्राम सोनौरा, तहसील-हुजूर, थाना-विश्वविद्यालय  
जिला-रीवा म०प्र०

—गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील  
हुजूर, जिला-रीवा म०प्र० के प्रकरण कमांक-314/  
अ-74/2006-07आदेश दिनांक-18.09.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता  
सन् 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्नलिखित हैं-

यह कि निगरानीकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है,  
जिसकी पुस्तैनी आराजी ग्राम सोनौरा, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा  
म०प्र० मे स्थित है, अनावेदकगण आवेदक के ही परिवार एवं एक ही

धारा 314 अंकांक  
वकालत द्वारा पेशा  
07.18  
my

115

**राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.4056/2018/भ.न. जिला रीवा

हरिहर प्रसाद विरुद्ध वीणा पटेल

3

16-1-19-

1. आवेदक की ओर से श्री उमकांत विट्ठलका अधिवक्ता द्वारा यह ~~नम्बर~~ तहसीलदार तहसील हुजूर के

प्रकरण क्रमांक 314/27-74/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य

जिसका पुस्तना आराजा ग्राम सानारा, तहसाल-हुजूर, जिला-रावा म0प्र0 मे स्थित है, अनावेदकगण आवेदक के ही परिवार एवं एक ही